न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर,खण्डपीठ रीवा,जिला रीवा(म.प्र.) 178

निगरानी प्र.क्र............../2014

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES रु. 20/-

138
13.3.14

राजबिहारी मिश्रा तनय श्री देवराज मिश्रा उम्र 80वर्ष,पेशा खेती,निवासी ग्राम शाहपुर,तहसील सिरमौर जिला रीवा (म.प्र.) -------निगरानीकर्ता

R - 1310-III/14

बनाम

धरमपाल मिश्रा पिता रामचरण मिश्रा निवासी ग्राम शाहपुर द्वारा मनराजू पति धरमपाल मिश्रा निवासी ग्राम शाहपुर,तहसील सिरमौर,जिला रीवा (म.प्र.) -------गैरनिगरानीकर्ता

श्री आर.बी.सिं. कु. मिश्रा एड के द्वारा आज दिनांक 13-03-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तहसील सिरमौर,जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्र.16अ12/2012-13 में पारित आदेश दिनॉक 28.02.2014 जिससें सीमांकन आदेश की पुष्टि किये जाने का आदेश दिया गया है ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 ई.।

महोदय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि,प्रक्रिया एवं मान्य न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

2. यह कि गैरनिगरानीकर्ता की आराजी क्र.1285 रकवा 0.129 हे.के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक सिरमौर एवं पटवारियों के दल द्वारा दुबारा प्रस्तुत गलत सीमांकन प्रतिवेदन दिनॉक 20.04.2013 की पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर भूल किया है,जिससे उक्त आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है ।

1165
7-4-14

3. यह कि गैरनिगरानीकर्ता धरमदास मिश्रा द्वारा ग्राम शाहपुर की आ.नं.1285 1095/2,1337/1 के सीमांकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रेश किया गया था,जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया,राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा सरहदी कृषकों राजबिहारी,विष्णू प्रसाद,जुगुल किशोर,कृष्ण किशोर,बुद्धसेन आदि लोगों को विधिवत

नि.अं. राजबिहारी मिश्रा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1310–तीन / 14 जिला –रीवा

स्थान एवं दिनांक	राजबिहारी कार्यवाही तथा आदेश धर्मपाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.2016	आवेदक के अधिवक्ता कई पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनको समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक के अनुपस्थित नहीं होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है । सदस्य	